संख्या:42/2019/1858जेएल(1)/22-3-19-100(19)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2019***

विषय: जिला कारागार अलीगढ़ में निरूद्ध 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13312/सामा-1(3)/मु0नगर स्था0/2019, दिनांक 01-05-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार अलीगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0/सि0 बंदी विनय उर्फ बिल्लू वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र वर्मा उर्फ गुड्डा	जि0का0अलीगढ़	के0का0बरेली
2	वि0 बंदी सारिक पुत्र श्री सफीक अहमद उर्फ सफ्फो पहलवान	जि0का0अलीगढ़	जि0का0सीतापुर
3	वि0/सि0 बंदी प्रेमवीर उर्फ बाबी पुत्र श्री गिर्राज जाट	जि0का0अलीगढ़	के0का0वाराणसी

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:42/2019/1858जेएल(2)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/बरेली/सीतापुर/वाराणसी।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/बरेली/सीतापुर/वाराणसी।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जि0का0अलीगढ़ एवं अधीक्षक, जि0का0 सीतापुर।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, के0का0 बरेली एवं वाराणसी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in